



2026:AHC:8689

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33468 / 2025

शौकीन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अज़हर हुसैन, जैद अर्शद

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क पांडे को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक शौकीन की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 365 वर्ष 2025, धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वस्तुतः आवेदक के पास से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न हेतु इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। वर्तमान प्रकरण में आरोपपत्र दिनांक 05.09.2025 को दाखिल किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 20.08.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि विचारण पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा वह मादक पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक परिप्रेक्ष्य, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, अभियुक्त के चरित्र, उससे संबंधित विशेष परिस्थितियाँ, विचारण के समय उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होने की संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की आशंका, राज्य/समाज के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक **शौकीन**, जो की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा गवाहों को भयभीत/प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन की मांग किए, विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।